

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1. अप्रैल संख्या – 1588 / 2009 / सवाईमाधोपुर.
 2. अप्रैल संख्या – 1589 / 2009 / सवाईमाधोपुर.

वाणिजिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भरतपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स युरेश ब्रदर्स, अनाज मण्डी, सवाईमाधोपुर.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री टी. सी. जैन व श्री ओ. पी. गुप्ता,
अभिभाषकाण

निर्णय दिनांक : 12 / 11 / 2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिजिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-सवाईमाधोपुर (जिसे आगे "निधारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त दोनों अपीलों उपर्युक्त (अपील्स), वाणिजिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 30.07.2009 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो क्रमशः अप्रैल संख्या 27 व 28 / उपा-भरत / 2008-09 के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी राजस्थान मुख्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धोरा 24 व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2009 में अर्कीकार किये गये अगत कर का मुजरा, कायम की गयी रिवर्स कर की मान राशि अधिनियम के धारा 61(2)(a) के तहत आरोपित कर की चार गुना शारित व अनवृत्ति व्यापार, विक्री विवरण प्रपत्र वेट-10 दरों से प्रस्तुत करने के कारण आरोपित शारित के संबंध में कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित विन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

लगातार 2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर (टिन-08251660279) का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिया गया है। अतः व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में उक्त व्यवहारी से क्रय किये गये माल पर चुकाये गये कर के एवज में चाहे गये आगत कर के मुजरे को अस्तीकार कर, 4. प्रतिशत की दर से रिवर्स कर, कुल रु. 2,71,410/-, करपरवंचन के उददेश्य से चाहे गये आगत कर का मुजरा को अधिनियम की धारा 61(2)(ए) के तहत चार गुना शास्ति रु.10,85,640/- व अनुवर्ती व्याज की मांग राशि रु. 2,633/- व बिक्री विकरण प्रपत्र वैट-10 देसी से प्रस्तुत करने के कारण शास्ति रु. 940/- अधिनियम की धारा 24 के तहत आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 समिति अधिनियम की धारा 24 के तहत कर रु.2,53,276/- व अनुवर्ती व्याज रु. 83,581/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीले प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया गया। जिससे व्यक्तित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपीले प्रस्तुत की गयी है।
4. उम्मपक्षीय बहस सुनी गयी।
5. व्यवहारी की ओर से विद्वान् अभिभाषकगण ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जब विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किया गया था, राज्य का पंजीकृत व्यवहारी था एवम् विभाग द्वारा जारी व्यवहारी का पंजीयन प्रमाण पत्र पश्चातवर्ती प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में कथन किया कि किसी भी क्रेता व्यवहारी को विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन निरस्तीकरण की जानकारी किस प्रकार से ज्ञात होती ? क्रेता व्यवहारी द्वारा समरत संव्यवहार सदनावनापूर्ण किया गया था। कथन किया कि समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवैयस सही जारी किये गये हैं तथा निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पैश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नहीं किस धारा के अन्तर्गत आई.टी.सी. जमा करने की जिम्मेदारी है। कथन किया है। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि विक्रेता व्यवसायी की प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय की गयी खरीद पूर्णतः सही है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के

विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि सदभाविक रूप से क्रय किये गये संचयवहार पर आई.टी.सी. नहीं दिया जाना अनुचित है। उसके द्वारा माल जिस विक्रेता से क्रय किया गया है वह विभाग में तत्समय पंजीकृत था। विक्रेता द्वारा नियमित रूप से रिटर्न फाइल किये गये हैं। विक्रेता के भी विक्रेता अथवा उससे भी और आगे किसी व्यवसायी ने कर जामा करवाया अथवा नहीं, यह मालमुक करना प्रत्यर्थी व्यवहारी के लिए सम्भव नहीं था। अपने कथन के समर्थन में माननीय चायालयों के निम्न च्यापिक दृष्टांतों को भी प्रोद्धरित किय गया :-

- (1) वा.क.अ., चुरु काशीपुर मैसर्स बाबूलूलत प्रकाशकन्द, चुरु 37 टैक्स अपडेट 339 (आर.टी.बी.)
 - (2) वा.क.अ. वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर, अपील संख्या 1824 व 1825 / 2008 / श्रीगंगानगर, (आर.टी.बी.) 27 टैक्स अपडेट 109
 - (3) सहायक आयुक्त, प्रतिकारपक्वेचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सारावाणी रोलर फ्लोर मिल्स प्रालि, 13 टैक्स अपडेट 134 निर्णय दिनांक 13.07.2005 (राज.)
 - (4) महाराष्ट्र राज्य बनाय मैसर्स सुरेश ट्रेलिंग कम्पनी 109 एस.टी.सी. 435 निर्णय दिनांक 07.02.1996 (सु.को.)
 - (5) जिनसासन हिस्ट्रीब्लूटर्स बनाम वा.क.अ. चैन्स (2013) 59 वी.एस. (मद्रास)
 - (6) मैसर्स आशा अँगल ट्रेडर्स, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त-सी, जयपुर 40 टैक्स अपडेट 78 निर्णय दिनांक 30.06.2014 (आर.टी.बी.)
6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अग्रिम अभिवाहक किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सदभावित रूप से माल खरीदा गया था। वैट इनवाईस से माल क्रय किया गया था तथा सदविश्वास से आई.टी.सी. का वलेम किया गया जो निम्न तथ्यों से प्रमाणित होता है :-
- (i) वक्त संचयवहार विक्रेता पंजीकृत व्यवहारी था, इन नं. सही विद्यमान थे।
 - (ii) वैट इनवाईस से माल क्रय किया गया था, जो कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किया गया था।
 - (iii) विक्रेता व्यवसायी द्वारा सही वैट जारी कर बहियात में दर्ज किया गया।
 - (iv) विक्रेता व्यवहारी द्वारा विभाग में पेश किये गये रिटर्न में सही बिशी दरशायी गयी।
 - (v) विक्रेता व्यवहारी के वैट-9 की छाया प्रति जो विभाग को प्रस्तुत की गयी थी, की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी।

6A. अधिन अभिवाक् किया कि किसी पत्र के ही आधार पर कर के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बाहित भार को प्रमाणित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 16(6) के प्रावधानानुसार किसी व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त होने की दशा में भी, उस पर कर का दायित्व बना रहता है। विक्रेता व्यवहारी के प्रमाण पत्र के भूतकालिक प्रभाव से निरस्त होने की विधि में भी, क्रेता व्यवहारी पर कर का कोई दायित्व नहीं बनता है। व्यवहारी द्वारा सद्भाविक रूप से सही दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपारस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में पुनः प्रोद्भवित न्यायिक दृष्टिओं की ओर ध्यानाकर्षित कर, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अर्थीकार करने की प्रार्थना की गयी। अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में कथन किया कि शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु कोई विशिष्ट अवरार शास्ति आरोपण से पूर्व प्रदान नहीं किया गया, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों 2006 के नियम 48 की अवहेलना है। अतः आरोपित शास्ति न्यायोचित नहीं होने के कारण उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आरोपित शास्ति अपारस्त कर, अपील स्वीकार की गयी है। अतः पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. केन्द्रीय अधिनियम के तहत पारित निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि के संबंध में कथन किया कि अन्तर्राजीय व्यापार के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2009 में 4 प्रतिशत की दर से जो करारोपण किया गया है उक्त राशि को राजकोष में जमा नहीं होना अवधारित कर, अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम की गयी है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त ब्याज की राशि को अधिनियम के तहत कर का कोई समायोजन प्राप्त नहीं होने के आधार पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत मांग राशि कायम की गयी है जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत पारित निर्धारण आदेश को अपारस्त कर, व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को स्वीकार कर, अपीलीय आदेश पारित करने के उपरात केन्द्रीय अधिनियम के तहत मांग राशि वसूली योग्य नहीं रह जाती है। अतः उक्त संदर्भ में भी पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, केन्द्रीय अधिनियम के

तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष अपीलों को अखीकार करने की प्रार्थना की गयी। पारित निर्धारण आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

8. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अधिभाषक ने उपरिकृत होकर पारित अपीलीय आदेश को अधिनियम के प्रावधानातुसार अविधिक होने का कथन किया गया। अग्रिम अभिवाहक किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के प्रकाश में, वेट कर जमा कराये जाने का सत्यापन होने की दशा में ही, आगत कर का मुजरा प्रदान किये जाने योग्य है अन्यथा आगत कर के मुजरा प्रदान नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि वेट व्यवस्था में विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराने की दशा में, आगत कर के मुजरे का दावा केंसे खीकार किया जा सकता है? तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को मौका दिया गया था कि वह इस संबंध में खरीद के संबंध में कर जमा कराने के सबूत के भार निर्वहन करे। परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने का कोई सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के विशिष्टि प्रावधानों के प्रकाश में बाध्यकारी है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 18(3)(v) के प्रावधानों के प्रकाश में भी आगत कर का मुजरे का दावा अखीकार करने को विधिसम्मत होने का कथन किया गया। अग्रिम अभिवाहक किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के आलोक में, विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवम् अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 995 / 2012 / जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष बुल्ला, राजस्थान, जयपुर निर्णय दिनांक 03.08.2012 को प्रोद्धारित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना अवधारित किया गया है। अतः अपने उक्त तर्क के आधार पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स शंकर देविंग कम्पनी, विद्याधर नगर, जयपुर (दिन-08251660279) के पंजीयन निरस्तीकरण के आधार पर उक्त अवधि में विक्रेता व्यवहारी से किये गये संव्यवहार के चुकाये गये कर के एवजु शासित व अनुवर्ती छाज की मुजरा राशि को अस्वीकार कर, कर, रिवर्स कर, उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किये गये वेट इन्वॉयस (क्रय बिल्स) की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी हैं अर्थात् विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शंकर देविंग कम्पनी, विद्याधर नगर, जयपुर (टिन-08251660279) द्वारा विवादित विक्रय को स्वयम् द्वारा संद्वारित वेट-9 में घोषित किया गया है।

10. कथित विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर दिन नं० 08251660279 के सम्बन्ध में इसके कर निधरिण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, बृत-ई, जयपुर के पत्र क्रमांक 434 दिनांक 23.3.2009 के हारा इस आशय की सूचना वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष धूत भरतपुर को प्रेषित की गई कि “इस कार्यालय द्वारा ऐसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी के बैट - 9 में माल खरीद बोग्स एवं बिक्री के फर्जी बिलों का जारी होना सिद्ध होने से बैट एक्ट 2003 की धारा 16(4) (G) के अनुसरण में आरसी टीन नम्बर दिनांक 18.07.2007 के आदेश से 01.04.2006 से निरस्त कर दी गई है।”

11. सुनवाई के समय अधिकृत प्रतिनिधि हारा कथित विक्रेता शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, 6/42, विद्याधर नगर, जयपुर के बिल संख्या 64 दिनांक 17.04.2006 बिल राशि रु. 3,09,104/-; बिल संख्या 68 दिनांक 18.04.2006 बिल राशि रु. 1,40,868/-; बिल संख्या 71 दिनांक 19.04.2006 बिल राशि रु. 2,37,329/-; बिल संख्या 180 दिनांक 07.05.2006 बिल राशि रु. 2,94,615/-; बिल संख्या 204 दिनांक 09.05.2006 बिल राशि रु. 2,74,155/-; बिल संख्या 245 दिनांक 13.05.2006 बिल राशि रु. 3,04,274/-; बिल संख्या 246 दिनांक 13.05.2006 बिल संख्या 3,18,764/-; बिल संख्या 330 दिनांक 22.05.2006 बिल राशि रु. 3,20,153/-; बिल संख्या 370 दिनांक 28.05.2006 बिल राशि रु. 2,90,867/-; बिल संख्या 412 दिनांक 05.06.2006 बिल राशि रु. 2,86,208/-; बिल संख्या 423 दिनांक 07.06.2006 बिल राशि रु. 2,74,040/-; बिल संख्या 424 दिनांक 07.06.2006 बिल राशि रु. 3,42,376/-; बिल संख्या 426 दिनांक 08.06.2006 बिल राशि रु. 3,18,764/-; बिल संख्या 477 दिनांक 15.06.2006 बिल राशि रु.3,11,922/-; बिल संख्या 510 दिनांक 19.6.2006 बिल राशि रु.2,91,189/-; जो पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 पर हैं, के हारा सुरेश ब्रदर्स, नई अनाज मण्डी, सराइमाधोपुर को बैट इन्डोयस जारी करने की प्रतियां उपलब्ध हैं।

12. बहस के दौरान विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह कथन किया कि कथित विक्रेता शंकर ट्रेडिंग कम्पनी के हारा करा जमा कराया है। 01.04.2006 से 30.06.2006 का बैट-10 पत्रावली में उपलब्ध है। इसमें रूपये 8673/-— चालान दिनांक 03.07.2006 की फोटो प्रति है।

13. कर निधरिण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 51 पर आदेश पत्र दिनांक 28.06.2007 में आदेश पत्र निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :—

लगातार..... 7

“श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता प्रोपाइटर फर्म नोटिस की पालना में उपस्थित हुए। M/s. शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर से की गयी सरसों खरीद के 16 बिलों की प्रतियां पेश की गयी एवं इन बिलों से की गयी खरीद एवं किये गये भुगतान के संबंध में मै० शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर के व्यवितरण खाते की नकल भी पेश की गयी है। भुगतान जर्य चेक / ऑनलाइन ट्रांसफर से किया गया है। भुगतान फर्म के पंजाब नेशनल बैंक स्थित Current A/c No/ 4523002100000885 (INR) से किये गये हैं। बैंक स्टेटमेन्ट्स पेश किया है जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

पृष्ठाछ पर श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा उक्त बिलों से क्रेड की गयी सरसों की डिलीवरी जयपुर में ही प्राप्त की गयी एवं उसका विक्रय भी जयपुर से ही अन्तर्राजीय व्यापार के क्रम में कर दिया गया। कुछ माल राज्य के अन्दर भी वैट वसूल करके विक्रय किया गया है। जयपुर से ही माल लोड करके बाहर भेजने के संबंध में Form 18-c की प्रतियां एवं बिल्टी आदि पेश नहीं की गयी हैं। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त माल के विक्रय के संबंध में बिलों की प्रतियां, क्रेता व्यवसायियों से प्राप्त भुगतान का विवरण यथ बिल्टी व ST18C के पेश किया जावे। सुनवाई दिनांक 3.7.07 की नियत कर सूचित किया जाता है।”

इस आदेश पत्र से जाच सम्पूर्णत कर निष्कर्षित नहीं किया जाना प्रतीत होता है। कर निधारण वर्ष 2006-07 का कर निधारण आदेश पारित करते समय आदेश पत्र दिनांक 28.06.2007 की कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जाच को सम्पूर्णत कर निष्कार्षित नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से विरोधाभासी स्थिति उजागर होती है। कथित विक्रेता व्यवहारी के कर निधारण अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2006 से निरस्त किये जाने के पश्चात विक्रेता व्यवहारी द्वारा पत्रावली में उपलब्ध वैट-10 का असेसमेंट के बारे में रिष्टि अस्पष्ट है, जिसका सत्यापन विक्रेता के कर निधारण आदेश से किये जाने की आवश्यकता है। आदेश पत्र के अनुसार जाच सम्पूर्णत कर निष्कर्षित नहीं की गई है।

14. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर आधिनियम, 2003 की धारा 18(2) निन प्रकार है :—

18. Input Tax Credit.—

- (1)
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However,

 लगातार 8

 लगातार 8

claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –
- from a registered dealer who is liable to pay tax under subsection (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
 - of goods made in the course of import from outside the State; or
 - where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
 - of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
 - where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

15. इसी प्रकार वेट अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) व (5) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-

20. Payment of tax. —

- Tax payable under this Act shall be deposited into a Government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government, on the basis of accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be notified by the State Government, and different intervals may be notified for different categories of dealers.

- Every deposit of tax or deduction of amount in lieu of tax made under this section shall be deemed to be provisional subject to adjustment against the tax liability determined in the assessment made under this Act.

16. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2013) 64 ई.ए.रा. टी. 234 पैकेज इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में निम्न निष्कर्ष दिया गया है :-

Held, dismissing the petition, that on verification of the records the authorities found that on date of the purchase made by the petitioner, the selling dealers were de-registered. The whereabouts of them were also not known. Hence, it was clear that the petitioner had made transactions with bogus and fake dealers, and availed of the input-tax rebate on the basis of the fake tax invoices. The selling dealers had not filed any declarations nor remitted the tax collected from the petitioner. The petitioner had not furnished reliable and proper information about the existence of the sellers. Section 70(1) of the Act, cast burden of proof on the dealer who claimed exemption or input-tax rebate. Further it was clear from the records that the petitioner had not produced any materials to show that the dealer with whom the petitioner has made transaction had remitted the tax collected from it as required under section 70, thought the petitioner has been making transaction with the dealers for more than three years. Therefore the petitioner was not entitled to claim input-tax rebate and was liable to pay the penalty and interest under sections 72(2) and 36, respectively, of the Act. Thus there was not infirmity or irregularity in the order passed by the Tribunal.

17. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस टी. सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न निर्णय पारित किया गया है :—

"Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council⁴, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in Secretary of State for India v. Fareedoon Jijibhai Divecha⁵, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and

—: 10 :-

1-2. अपील संख्या-1588 व 1589 / 2010 / जयपुर

any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.

18. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जा रही जांच निष्कर्षित किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। प्रस्तुत न्यायिक निर्णय तथ्यात्मक भिन्नता के कारण अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते हैं।
19. हस्तगत प्रकरण में बहस के दौरान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कठित विक्रेता द्वारा कर जमा कराये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है, जबकि कठित विक्रेता द्वारा माल खरीद व बिंगी के फर्जी बिलों का जारी होना सिद्ध होने से विक्रेता का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त हो चुके होने के कारण इस तथ्य की जांच किया जाना आवश्यक है कि कठित विक्रेता व्यवहारी के वर्ष 2006-07 की अवधि में कर निर्धारण में यह जमा प्रदर्शित कर का समायोजन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 20(5) की पालना में किस प्रकार किया गया है?
20. उक्त विवेचनानुसार राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी का आदेश अपार्स्ट किया जाता है। दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेरित किये जाते हैं कि कठित विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन की स्थिति एवं विक्रेता के आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों से विक्रेता व्यवहारी द्वारा देय वेट राजकोष में जमा कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 20(5) के प्रावधानों की पालना के तथ्यों की जांच करें। विक्रेता द्वारा प्रदर्शित वेट इन्वॉयस के क्रय सव्यवहार (Genuine) वास्तविक होने के सम्बन्ध में जांच करें।

21. जांच में कठित विक्रेता व्यवहारी के पंजीकरण निरस्त करने का तथ्य अपरिवर्तित रहने एवं धारा 20(5) के प्रावधान की पालना नहीं होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 25.03.2009 द्यावत रहेगा।
22. निर्णय सुनाया गया।
मनोहर पुरी
सदस्य

12.11.2011
(मनोहर पुरी)
सदस्य